

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है सड़कों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएंगे : विधायक चेतन्य काश्यप
कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड़ फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन

रतलाम 11 नवम्बर। विधायक चेतन्य काश्यप ने कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड़ फोरलेन तक बनने वाले सीसी रोड़ के कार्य का समारोहपूर्वक भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रतलाम में सीवरेज योजना की खुदाई एवं वर्षाकाल के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन्हें फिर से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आश्वस्त किया है कि सड़क निर्माण के लिए रतलाम को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, निलेश गांधी, करणधीर्य बड़गोत्या मंचासीन रहे।

विधायक श्री काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रवास के दौरान फरवरी माह में शहर की सड़कों के नव निर्माण हेतु 920 करोड़ की पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्रीजी ने सड़कों के कारण शहरवासियों को अधिक परेशानी ना उठाना पड़े इसलिए 2-3 वर्ष में ही पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सीवरेज योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, इसका लाभ शहरवासियों को जल्द ही देखने को मिलेगा। सीवरेज लाईन के कारण नालियों में सिर्फ बारिश का पानी ही रहेगा और वर्ष भर वे सूखी रहेगी। इससे बीमारियां भी खत्म होगी।

श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम को महानगर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शहर के विकास को नई गति मिलेगी। श्री काश्यप ने शहरवासियों से आयुष्यमान भारत कार्ड एवं संबल कार्ड बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी शहरवासियों से टीकाकरण पूर्ण कराने का आह्वान करते हुए कहा कि पहली लहर में टीका नहीं था तो दूसरी लहर आई। यदि अब टीकाकरण हो गया तो तीसरी लहर पर विजय प्राप्त हो जाएगी।

भूमि पूजन समारोह में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरुण राव ने कहा कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जो रतलाम को नगर से महानगर बनने की ओर ले जा रहा है। मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित ने कहा कि विधायक श्री काश्यप के नेतृत्व में रतलाम के समग्र विकास की अवधारणा साकार हो रही है। पूर्व पार्षद पप्पु पुरोहित ने कहा कि श्री काश्यप के नेतृत्व में रतलाम का समूचा विकास हुआ है। उनके वार्ड में कोई कार्य शेष नहीं रहा है। कार्यक्रम के आरंभ में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री हनीफ शेख ने सड़क निर्माण कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण के कार्य की लागत 46 लाख रुपए है। इसके करीब 17 लाख की लागत से नाली निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। विधायक श्री काश्यप ने इस मौके पर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा निर्मित कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों द्वारा नगर के चौतरफा विकास के लिए विधायक चेतन्य काश्यप का अभिनंदन किया गया। संचालन जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा ने किया। आभार नारायण सांकला ने माना।

कार्यक्रम में मनीषा शर्मा, प्रहलाद पटेल, भगतसिंह भदोरिया, देवशंकर पाण्डेय, सुशील सिलावट, पवन सोमानी, प्रकाश बंशीवाल, विनोद यादव, नितिन पांडे, विनोद आचार्य, जयेश वसावा, सुशील नागर, अभय जैन, संतोष तिवारी, बाबुलाल मालवीय, कमल गुप्ता, विवेक शर्मा, जयश्री राठौर, मीना टांक, निगम इंजीनियर एम.के. जैन, हितेष पंडित सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासीगण उपस्थित थे।

शहर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर कार्यवाही प्रारंभ
जिला, निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त मुहिम के तहत

शहर सीमा के कनेरी रोड से नियम विपरित निर्माण हटाये

रतलाम 11 नवम्बर । कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में आज कनेरी रोड पर विकसित हो रही अवैध कालोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाये गये यह मुहिम आगे भी सतत जारी रहेगी।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कालोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेशन के तहत एफआईआर दर्ज कराई जायेगी तथा नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से राशि वसूली जायेगी जिसके तहत उक्त कालोनी निर्माण करने वालों को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने हेतु शीघ्र नोटिस जारी किया जा रहा है। श्री झारिया ने बताया कि अवैध कालोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम सतत जारी रखी जाएगी।

जिला, निगम और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त टीम द्वारा गुरुवार को कनेरी रोड पर सर्वे क्रमांक 872/2 रकबा 2.75 हैक्टर भूमि निरीक्षण किया गया। मौके पर पाया गया कि भूमि स्वामी शिवनारायण, अशोक कुमार राठौर पिता स्वर्गीय मांगीलाल राठौर व अन्य 15 द्वारा सर्वे क्रमांक 872/2 रकबा 2.75 हैक्टर भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभाजित कर सीमेन्ट कांक्रीट के पोल लगाये गये भूमि स्वामी का यह कृत्य अवैध कालोनी निर्माण को होना पाये जाने पर भूमि पर ऋषभ-अरविन्द मूणत, 47 भगतपुरी द्वारा 6 हजार स्क्वेयर फीट में काटेज, श्रीमती प्रीति पति राहूल देवड़ा, दीनदयाल नगर द्वारा 6 हजार स्क्वेयर फीट में काटेज, हेमन्त-पी.जी. राय, 75 काटजू नगर द्वारा 6 हजार स्क्वेयर फीट में काटेज व आनन्दीलाल-रतनलाल कोठारी 37/1 तैलियों की सड़क द्वारा 20 बाय 30 का पतरे का शेड का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी व कार्यपालन यंत्री सुरेन्द्र चन्द्र व्यास, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर की उपस्थिति में जेसीबी व डम्पर टेक्टर की सहायता से नियम विपरित निर्माण सीमेन्ट कांक्रीट सड़क, काँटेज, सीमेन्ट पोल को हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाकर पंचनामा भी बनाया गया है।

अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरो के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी।

मनुष्य जीवन में स्वच्छता एक आवश्यक गुण है

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए

रतलाम 11 नवम्बर । स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छता का विशेष महत्व है। स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वस्थ शहर, प्रदेश और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस माके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। वही कई क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से सम्पर्क कर उन्हें कचरे निपटान के सही तरीकों से अवगत कराया।

श्री झारिया ने कहा कि उन्होंने कहा कि स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के सरलतम उपायों में से एक है। यह सुखी जीवन की आधारशिला है। साफ-सुथरा रहना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। वह अपने घर व आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना चाहता है।

श्री झारिया ने कहा कि कुछ लोग अपने स्वभाव के विपरीत सफाई को कम महत्व देते हैं। जिसके कारण वहां के लोग संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। गंदगी से थल, जल और वायु की शुद्धता पर विपरीत असर पड़ता है।

उन्होंने नागरिकों से आवाहन किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग हिस्सों में ही करें। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता जरूरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

11 नवम्बर को 66 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 11 नवम्बर | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 11 नवम्बर गुरुवार को 66 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

11 नवम्बर गुरुवार को डम्पर से 19805, ट्रेक्टर से 11040, काम्पेक्टर सूखा कचरा 19155 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16400 किलो इस तरह कुल 66400 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

4236 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें वार्डवार केन्द्रों व घर-घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 11 नवम्बर | रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 11 नवम्बर बुधवार तक 4236 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 42 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय-पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 साईं ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10

सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुष्मान कार्ड

रतलाम 11 नवम्बर । आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 अक्टूबर से 11 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 41 दिनों में 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आइडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

**2105 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित**

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 11 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील

पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 2025 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु 80 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 40 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 11 नवम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दला के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 11 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारो से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मषोन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 11 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 11 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/11.11.2021/न.पा.निगम, रतलाम.